[2019] 10 एस. सी. आर. 910

/

[2019] 10 एस सी आर।

/

जी.जे. राजा

बनाम

तेजराज सुराना

(2019 की आपराधिक अपील No.1160)

/

30 जुलाई, 2019

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन**,** जे**.** जे**.]**

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 -s.143A संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा अंतःस्थापित किया गया-पूर्वव्यापी या संभावित-का संचालन-<ID2 पर प्रत्यर्थी ने शिकायत दर्ज की जिसमें कहा गया कि Rs.20,00,000/- और Rs.15,00,000/- के दो चेक अपीलार्थी द्वारा उसके पक्ष में जारी किए गए थे, हालांकि चेक का अपमान किया गया था।143 ए को अधिनियम में संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ा गया था, डब्ल्यू. एफ. 01.09.2018-एस के संदर्भ में।143 ए, विचारण न्यायालय ने आदेश दिया कि अपीलार्थी द्वारा चेक राशि का 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजे के रूप में प्रत्यर्थी को दिया जाए और अपीलार्थी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।एस की उप-धारा (5)।143 ए में कहा गया है कि अंतरिम मुआवजे की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि यह जुर्माना यू/एस हो।421, सीआरपीसी -<आई. डी. 1] संहिता के अध्याय XXXII में दिखाई देता है जो 'सजाओं के निष्पादन, निलंबन, छूट और संचरण' से संबंधित है-बहुत संदर्भ और अध्याय में निहित प्रावधानों की भाषा से, वे उन मामलों में लागू होते हैं जहां किसी अभियुक्त का अपराध निर्धारित किया जाता है और वह सजा और/या जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है-अध्याय का भाग-सी 'जुर्माने की वसूली' और धाराओं से संबंधित है।421 उक्त भाग में उपस्थित होने वाले अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जुर्माने की वसूली या तो कुर्की के वारंट या अपराधी की चल संपत्ति की बिक्री द्वारा की जा सकती है-यदि कोई आरोपी है, जिसके खिलाफ यू/एस के तहत अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का आदेश है।143 ए पास हो जाता है, विफल हो जाता है या उसी का भुगतान करने में असमर्थ होता है, प्रक्रिया यू/एस।421 ऐसा सहारा लिया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ अंतरिम मुआवजे की राशि की वसूली के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि यह राशि भूमि राजस्व के

बकाया का प्रतिनिधित्व करती है-वर्तमान मामले में, शिकायत 2016 में दर्ज की गई थी-इस प्रकार, अपराध का गठन करने वाला अधिनियम 2016 तक हुआ था, जबकि संबंधित प्रावधान अर्थात्। s.143A को डब्ल्यू. ई. एफ. 01.09.2018-एस. डालने से पहले डाला गया था।143 ए पर कोई प्रावधान नहीं था

/

/

/

/

/

/

910 ए.

911

जी. जे. राजा बनाम तेजराज सुराना ए

कानून की पुस्तक जिसके तहत किसी अभियुक्त के अपराध की घोषणा से पहले, या प्रश्न अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि से पहले भी, उसे अंतरिम मुआवजे का भुगतान या जमा करने के लिए कहा जा सकता है-इसलिए, व्यक्ति को एक नई अक्षमता या दायित्व के अधीन किया जाएगा-एस की प्रयोज्यता।143 प्रकृति में एक संभावित और उन मामलों तक सीमित जहां अपराध यू/एस।138 इसकी शुरूआत के बाद प्रतिबद्ध किया गया था-निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करते हुए-अपीलार्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्देश के अनुसार जमा किया गया धन उपार्जित ब्याज के साथ अपीलार्थी को वापस किया जाए-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस.357 और 421-परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018-कानूनों की व्याख्या।

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** धारा **143** ए**,** परक्राम्य लिखत अधिनियम**, 1881** को पढ़ने से पता चलता है कि **(i)** अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के **20** प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए**; (ii)** इसका भुगतान उप-धारा **(3)** के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए**; (iii)** यदि आरोपी बरी हो जाता है**,** तो शिकायतकर्ता को आरोपी को बैंक दर पर ब्याज के साथ अंतरिम मुआवजे की

राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा**; (iv)** उक्त धारा के अंतर्गत देय अंतरिम मुआवजे की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि यह दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973** की धारा **421** के अंतर्गत जुर्माना था**;** और **(v)** यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाना था**,** तो अधिनियम की धारा **138** के अंतर्गत लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि या धारा **357** के अंतर्गत दिए जाने वाले मुआवजे की राशि।धारा **143** ए की उप-धारा **(5)** में कहा गया है कि अंतरिम मुआवजे की वसूली संहिता की धारा **421** के अंतर्गत जुर्माने के रूप में की जा सकती है।धारा **421** के अध्याय **XXXII** में दिखाई देती है

/

/

/

संहिता कौन सा अध्याय 'निष्पादन**,** निलंबन**,** छूट' से संबंधित है

और वाक्यों का संचरण '।बहुत संदर्भ और अध्याय में निहित प्रावधानों की भाषा से**,** वे उन मामलों में लागू होते हैं जहां किसी अभियुक्त का अपराध निर्धारित किया जाता है और वह सजा और/या जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।संहिता की धारा **421** के अनुसार**,** जुर्माने की वसूली या तो कुर्की के वारंट या अपराधी की चल संपत्ति की बिक्री या कलेक्टर को वारंट जारी करके की जा सकती है**,** जो उसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत करता है।

/

/

व्यतिक्रमी की चल या अचल संपत्ति या दोनों।**[**पारस **9-11] [916-E-H; 917-A-B; 918-A-B]**

1.2 यदि कोई अभियुक्त**,** जिसके खिलाफ अधिनियम की धारा **143** ए के अंतर्गत अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का आदेश पारित किया जाता है**,** विफल रहता है या अंतरिम मुआवजे की राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है**,** तो धारा **421** के अंतर्गत प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ अंतरिम मुआवजे की राशि की वसूली के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि राशि भूमि राजस्व के बकाया को दर्शाती है।इस तरह की वसूली के लिए निर्धारित प्रक्रिया की सीमा और कठोरता राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती है**,** लेकिन निश्चित रूप से**,** ऐसी प्रक्रिया जबरदस्ती के तरीकों से संबंधित व्यक्ति तक पहुंच सकती है। वर्तमान मामले में**,** शिकायत वर्ष **2016** में दर्ज की गई थी**,** अर्थात**,** अपराध का गठन करने वाला अधिनियम **2016** तक हुआ था**,** जबकि संबंधित प्रावधान अर्थात्। अधिनियम की धारा **143** ए को **01.09.2018** से कानून की पुस्तक में डाला गया था।धारा **143** ए में निहित प्रावधानों के दो आयाम

हैं।सबसे पहले, यह धारा एक दायित्व पैदा करती है जिसमें एक आरोपी को शिकायतकर्ता को चेक राशि का **20** प्रतिशत तक का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है।इस तरह का आदेश तब तक पारित किया जा सकता है जब तक कि शिकायत पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है और आरोपी का अपराध अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।दूसरा, यह वसूली के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, जैसे कि अंतरिम मुआवजा भूमि राजस्व का बकाया था।इस प्रकार, यह न केवल एक नई अक्षमता या दायित्व पैदा करता है, बल्कि अभियुक्त को राज्य के तंत्र के माध्यम से ऐसे अंतरिम मुआवजे की वसूली के लिए जबरदस्ती करने के तरीकों को भी उजागर करता है जैसे कि अंतरिम मुआवजा भूमि राजस्व के बकाया का प्रतिनिधित्व करता है।जबरदस्ती के तरीके भी, जैसा कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा **183** जैसे प्रावधान से स्पष्ट है, कुछ मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में ले सकते हैं।**[**पारस **12,14** और **18] [918**-बी-सी, ई-जी**; 920**-एफ-जी**]**

/

/

/

/

/

1.3 अधिनियम में धारा **143** ए को शामिल करने से पहले कानून की पुस्तक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके तहत किसी आरोपी के अपराध की घोषणा से पहले, या प्रश्न अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि से पहले भी, उसे अंतरिम मुआवजे का भुगतान या जमा करने के लिए कहा जा सकता था।संहिता की धारा **421** या संहिता की धारा **357** के माध्यम से जुर्माना या मुआवजे की अधिरोपित और परिणामी वसूली भी हो सकती है।

/

/

913

जी.जे. राजा बनाम तेजराज सुराना ए

व्यक्ति के अपराध का दोषी पाए जाने के बाद ही उत्पन्न होता है।यह विधि की स्थिति थी जिसे अधिनियम में धारा **143** ए को लागू करके बदलने की मांग की गई थी। अब यह एक दायित्व अधिरोपित करता है कि अपने अपराध या दोषसिद्धि के आदेश की घोषणा से पहले भी, अभियुक्त, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में धन की वसूली के लिए राज्य तंत्र की सहायता से, अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए मजबूर हो सकता है।इसलिए, व्यक्ति को एक नई अक्षमता या दायित्व के अधीन किया जाएगा।इस प्रकार स्थिति कर्मचारी राज्य बीमा निगम मामले में विचार के लिए उत्पन्न हुई स्थिति से पूरी तरह से अलग है।इसलिए, अधिनियम की धारा **143** ए की प्रयोज्यता

को संभावित प्रकृति का माना जाना चाहिए और उन मामलों तक सीमित होना चाहिए जहां धारा **143** ए लागू होने के बाद अपराध किए गए थे**,** ताकि किसी आरोपी को इस तरह के अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सके।धारा **143** ए संभावित रूप से लागू होगी और उक्त धारा **143** ए के प्रावधानों को केवल उन मामलों में लागू या लागू किया जा सकता है जहां अधिनियम की धारा **138** के अंतर्गत अपराध क़ानून की पुस्तक में उक्त धारा **143** ए को लागू करने के बाद किया गया था।नतीजतन**,** निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।अपीलार्थी द्वारा जमा किया गया धन**,** उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्देश के अनुसार**,** इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर उपार्जित ब्याज के साथ अपीलार्थी को वापस कर दिया जाएगा।**[**पैरा **20,22** और **24] [921**-डी-जी**; 922**-सी**,** जी**; 923**-ए-बी**]**

/

/

/

/

आयकर आयुक्त **(**केंद्रीय**)-I,** नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड **(2015) 1** एससीसी **1:[2014] 12** एस**.** सी**.** आर**. 1037;** हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **(1994) 4** एस**.** सी**.** सी**. 602:**

/

[1994] 1 पूरक।एस. सी. आर. 360; अनिल कुमार गोयल बनाम किशन चंद कौरा (2007) 13 एस. सी. सी. 492:[2007] 13 एससीआर

313 ; सुरिंदर सिंह देसवाल और ओआरएस बनामविरेन्द्र

गाँधी (2019) 8 स्केल 445-पर भरोसा किया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम द्वारका नाथ

/

भार्गव (1997) 7 एससीसी 131:[1997] 3 पूरक।एससीआर 513-प्रतिष्ठित।

/

संदर्भित निर्णय

[2014] 12 एस. सी. आर. **1037** पैरा **15 [1994] 1** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस. सी. आर. **360** पैरा **16 [1997] 3** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस. सी. आर. **513** विशिष्ट पैरा **19 [2007] 13** एस. सी. आर. **313** पैरा **21 (2019) 8** स्केल **445** पैरा **23** पर निर्भर था

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2019 की आपराधिक अपील No.1160

2019 की आपराधिक मूल याचिका संख्या 3406 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायालय के दिनांक 08.02.2019 के निर्णय और आदेश से विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता। (एसी), जी. आनंद सेल्वम, मयिलसामी के., पीवीके देवेंद्रन, मणिकंदन ए., सुश्री कविता भारद्वाज, निहंगम आर. मौर्य, सुश्री लक्ष्मी राममूर्ति, डॉ. रवींद्र एस. चिंगले, महालिंग पांडर्गे, अभिजीत सेनगुप्ता, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

उदय उमेश ललित**,** जे।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा 2019 के आपराधिक मामले में पारित अंतिम आदेश को चुनौती देती है।

/

3. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 138 के अंतर्गत 2018 की C.C.No.7171 होने की शिकायत वर्तमान में अपीलार्थी के खिलाफ द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट-मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई के समक्ष लंबित है।शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के पक्ष में Rs.20,00,000/- और Rs.15,00,000/- की राशि में जारी किए गए दो चेकों का धन की अपर्याप्तता के कारण अपमान किया गया था। 04.11.2016 पर शिकायत दर्ज की गई थी।

/

/

/

4. 01.09.2018 के प्रभाव से, 2018 के संशोधन अधिनियम 20 द्वारा अधिनियम में धारा 143 ए को जोड़ा गया था।उक्त धारा निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

“ 143 ए. अंतरिम मुआवजे का निर्देश देने की शक्ति।– (1)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 138 के अंतर्गत अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय चेक खींचने वाले को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दे सकता है -

/

(क) संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहां वह शिकायत में लगाए गए आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है; और

/

(ख) किसी अन्य मामले में, आरोप तय होने पर।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) अंतरिम मुआवजे का भुगतान उप-धारा (1) के अंतर्गत आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर या ऐसी आगे की अवधि के भीतर किया जाएगा जो तीस दिनों से अधिक न हो, जैसा कि चेक के ड्रॉअर द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।(4) यदि चेक खींचने वाले को बरी कर दिया जाता है, तो न्यायालय शिकायतकर्ता को आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, या ऐसी तीस दिनों से अधिक की अवधि के भीतर, जो शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित की जाए, संबंधित वित्तीय वर्षों की शुरुआत में प्रचलित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज के साथ अंतरिम मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश देगी।

/

/

/

(5) इस धारा के अंतर्गत देय अंतरिम मुआवजे की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 के अंतर्गत जुर्माना हो।

(6) धारा 138 के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने की राशि या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अंतर्गत दिए गए मुआवजे की राशि को इस धारा के अंतर्गत अंतरिम मुआवजे के रूप में भुगतान या वसूल की गई राशि से कम किया जाएगा। "

/

/

916

/

[2019] 10 एस सी आर।

5. इसके तुरंत बाद, विचारण न्यायालय ने आदेश दिया कि चेक राशि का 20 प्रतिशत अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 143 ए के प्रावधानों के अनुसार अंतरिम मुआवजे के रूप में प्रत्यर्थी को दिया जाए। इस प्रकार, अपीलार्थी को उत्तरदाता को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

6. अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में 2019 का आपराधिक O.P.No.3406 दायर किया।अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 143 ए के अंतर्गत अंतरिम मुआवजा देने के आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाई, लेकिन चेक राशि के प्रतिशत को 20 प्रतिशत से घटाकर चेक राशि का 15 प्रतिशत कर दिया।

/

7. उच्च न्यायालय के आदेश को वर्तमान अंतर्गत चुनौती दी जा रही है।नोटिस जारी करते समय अपीलार्थी को उच्च विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार आदेशित राशि को विचारण विचारण न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया गया था।यह आगे निर्देश दिया गया कि जमा करने पर, विचारण न्यायालय को पैसे को सावधि जमा में निवेश करना चाहिए और अगले आदेश तक पैसा प्रत्यर्थी को नहीं दिया जाएगा।चूंकि प्रतिवादी को नोटिस दिए जाने के बावजूद, वह उपस्थित नहीं हुआ था, इसलिए इस न्यायालय ने अपने दिनांक 01.07.2019 के आदेश द्वारा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे से न्यायमित्र के रूप में इस न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया।

/

/

8. हमने श्री जी. आनंद सेल्वम, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान न्यायमित्र को सुना।

/

9. धारा 143 ए के पढ़ने से पता चलता है कि (i) अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए; (ii) इसका भुगतान उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए; (iii) यदि आरोपी बरी हो जाता है, तो शिकायतकर्ता को आरोपी को बैंक दर पर ब्याज के साथ अंतरिम मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा; (iv) उक्त

धारा के अंतर्गत देय अंतरिम मुआवजे की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('संहिता', संक्षेप में) की धारा 421 के अंतर्गत जुर्माना था; और (v) यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाना था, तो अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि या धारा 357 के अंतर्गत दिए जाने वाले मुआवजे की राशि।10. चूंकि धारा 143 ए की उप-धारा (5) में कहा गया है कि अंतरिम मुआवजे की वसूली संहिता की धारा 421 के अंतर्गत जुर्माने के रूप में की जा सकती है, इसलिए इस स्तर पर धारा 421 पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

/

/

/

917

जी. जे. राजा बनाम तेजराज सुराना [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

/

धारा 421 संहिता के अध्याय XXXII में दिखाई देती है जो अध्याय से संबंधित है।

के निष्पादन, निलंबन, छूट और संचरण के साथ

वाक्य '।बहुत संदर्भ और अध्याय में निहित प्रावधानों की भाषा से, वे उन मामलों में लागू होते हैं जहां किसी अभियुक्त का अपराध निर्धारित किया जाता है और वह सजा और/या जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।अध्याय का भाग-सी 'जुर्माने की वसूली' से संबंधित है और उक्त भाग-सी में दिखाई देने वाली धारा 421 निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

/

“421. जुर्माना लगाने के लिए वारंट।- (1) जब कोई अपराधी

जुर्माने की सजा सुनाए जाने पर, सजा देने वाला न्यायालय निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों तरीकों से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है, अर्थात -

/

(क) अपराधी की किसी भी चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा राशि के उद्ग्रहण के लिए वारंट जारी करना; (ख) जिले के कलेक्टर को वारंट जारी करना, जिससे वह चूककर्ता की चल या अचल संपत्ति, या दोनों से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूल करने के लिए अधिकृत हो।बशर्ते कि, यदि सजा यह निर्देश देती है कि जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर अपराधी को कैद किया जाएगा, और यदि ऐसा अपराधी चूक में इस तरह के पूरे कारावास से गुजरा है, तो कोई भी न्यायालय ऐसा वारंट जारी नहीं करेगी, जब तक कि वह विशेष कारणों से ऐसा करना आवश्यक

नहीं समझती है, या जब तक कि उसने धारा 357 के अंतर्गत जुर्माने में से खर्च या मुआवजे के भुगतान का आदेश नहीं दिया है।

/

/

(2) राज्य सरकार उस तरीके को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है जिसमें उप-धारा (1) के खंड (ए) के अंतर्गत वारंटों को निष्पादित किया जाना है, और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी भी संपत्ति के संबंध में अपराधी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी दावे के संक्षिप्त निर्धारण के लिए।

/

(3) जहां न्यायालय उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत कलेक्टर को वारंट जारी करता है, वहां कलेक्टर को भूमि राजस्व की बकाया वसूली से संबंधित विधि के अनुसार राशि का एहसास होगा, जैसे कि ऐसा वारंट ऐसी विधि के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाण पत्र होः

/

बशर्ते कि ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरोध द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा। "

/

11. संहिता की धारा 421 के अनुसार, जुर्माना या तो अपराधी की चल संपत्ति की कुर्की या बिक्री के वारंट द्वारा या कलेक्टर को वारंट जारी करके वसूल किया जा सकता है, जो उसे चल या अचल संपत्ति या दोनों चूककर्ता से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत करता है।

12. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि कोई अभियुक्त, जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 143 ए के अंतर्गत अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का आदेश पारित किया जाता है, विफल रहता है या अंतरिम मुआवजे की राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो धारा 421 के अंतर्गत प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप अंतरिम मुआवजे की राशि की वसूली के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि राशि भूमि राजस्व के बकाया को दर्शाती है।इस तरह की वसूली के लिए निर्धारित प्रक्रिया की सीमा और कठोरता राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से, ऐसी प्रक्रिया जबरदस्ती के तरीकों से संबंधित व्यक्ति तक पहुंच सकती है।

/

/

13. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 183 के आधार पर, यदि भूमि राजस्व के भुगतान में चूक होती है, तो संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और कलेक्टर या तहसीलदार के कार्यालय में 10 दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, जब तक कि बकाया राजस्व का भुगतान जुर्माना या ब्याज और गिरफ्तारी की लागत और मांग की सूचना के साथ-साथ निरोध के दौरान उसके निर्वाह की लागत के साथ नहीं किया गया था।

/

/

14. वर्तमान मामले में, शिकायत वर्ष 2016 में दर्ज की गई थी, अर्थात, अपराध का गठन करने वाला अधिनियम 2016 तक हुआ था, जबकि संबंधित प्रावधान अर्थात्। अधिनियम की धारा 143 ए को 01.09.2018 से कानून की पुस्तक में डाला गया था।इसलिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या अधिनियम की धारा 143 ए पूर्वव्यापी है और उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध धारा 143 ए के लागू होने से बहुत पहले किए गए थे। हम वर्तमान मामले में केवल अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराधों के लिए उक्त धारा 143 ए के लागू होने के मुद्दे से संबंधित हैं, जो उक्त धारा 143 ए को शामिल करने से पहले किए गए थे।

/

/

15. आयकर अधिनियम, 1961 में अंतःस्थापित धारा 158-बी. ई. के संदर्भ में 'विधान की पूर्वव्यापीता' से संबंधित सामान्य सिद्धांतों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने ए.

/

919

जी. जे. राजा बनाम तेजराज सुराना [उदय उमेश ललित, जे.]

आयकर आयुक्त **(**केंद्रीय**)-I,** नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड **1** निम्नानुसारः-

“28. किसी विधान की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले विभिन्न नियमों में से एक स्थापित नियम यह है कि जब तक कोई विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक एक विधान को पूर्वव्यापी संचालन का इरादा नहीं माना जाता है।इस नियम के पीछे का विचार यह है कि एक वर्तमान विधि को वर्तमान गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए।आज पारित विधि अतीत की घटनाओं पर लागू नहीं हो सकता है।अगर हम आज कुछ करते हैं, तो हम उसे आज और लागू

विधि को ध्यान में रखते हुए करते हैं, न कि कल के पिछड़े समायोजन को ध्यान में रखते हुए।विधि की प्रकृति में हमारा विश्वास इस आधार पर स्थापित है कि प्रत्येक मनुष्य को मौजूदा विधि पर भरोसा करके अपने मामलों को व्यवस्थित करने का अधिकार है और यह नहीं देखना चाहिए कि उसकी योजनाएं पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित हुई हैं।यह सिद्धांत

/

/

विधि को लेक्स प्रॉस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट के रूप में जाना जाता है:विधि आगे देख रहा है

पीछे नहीं।जैसा कि फिलिप्स बनाम आयर 2 में देखा गया था, एक पूर्वव्यापी विधि इस सामान्य सिद्धांत के विपरीत है कि भविष्य के कार्यों से निपटने के लिए पहली बार पेश किए जाने पर मानव जाति के आचरण को विनियमित करने वाले विधि को तत्कालीन मौजूदा विधि के विश्वास पर किए गए पिछले लेनदेन के चरित्र को नहीं बदलना चाहिए। "

/

16. इसी तरह, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 20 (4) (बी. बी.) के परिणामस्वरूप संहिता के प्रावधानों के संशोधित अनुप्रयोग के प्रभाव पर विचार करते हुए, जिसके तहत चालान या आरोप पत्र दायर करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है, इस न्यायालय ने संहिता के प्रावधानों के पूर्वव्यापी संचालन के मुद्दे पर विचार किया।

/

हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **3** में संबंधित प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

/

“26. नामित न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन पूर्वव्यापी रूप से कार्य करेगा और उन लंबित मामलों पर लागू होगा जिनमें जांच उस तारीख को पूरी नहीं हुई थी जिस दिन संशोधन अधिनियम लागू हुआ था और तब तक अदालत में चालान दायर नहीं किया गया था।विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए विधि से एक संशोधन अधिनियम के दायरे और दायरे और इसके पूर्वव्यापी संचालन के संबंध में उभरने वाले उदाहरणात्मक लेकिन संपूर्ण नहीं सिद्धांतों को निम्नानुसार निकाला जा सकता है:

/

1 (2015) 1 एस. सी. सी. 1 2 (1870) एल. आर. 6 क्यू. बी 1

3 (1994) 4 एससीसी 602 ए

/

(i) एक कानून जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, उसे तब तक परिचालन में संभावित माना जाता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से पूर्वव्यापी नहीं बनाया जाता है, जबकि एक कानून जो केवल प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जब तक कि ऐसा निर्माण पाठ्य रूप से असंभव नहीं है, उसे अपने आवेदन में पूर्वव्यापी माना जाता है, इसका एक विस्तारित अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए और इसे सख्ती से इसकी स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं तक सीमित किया जाना चाहिए।

/

((ii) मंच और सीमा से संबंधित विधि प्रक्रियात्मक प्रकृति का है, जबकि कार्रवाई के अधिकार और अपील के अधिकार से संबंधित विधि भले ही उपचारात्मक प्रकृति का हो।

((iii) प्रत्येक वादी को मूल विधि में निहित अधिकार है लेकिन प्रक्रियात्मक विधि में ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है।

/

(iv) एक प्रक्रियात्मक क़ानून को आम तौर पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जहां परिणाम नई अक्षमताओं या दायित्वों को पैदा करना या पहले से किए गए लेनदेन के संबंध में नए कर्तव्यों को लागू करना होगा।

/

(v) एक कानून जो न केवल प्रक्रिया को बदलता है, बल्कि नए अधिकारों और देनदारियों को भी पैदा करता है, उसे संचालन में संभावित माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। "17. हितेन्द्र विष्णु ठाकुर 3 में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित चौथा और पाँचवाँ सिद्धांत वर्तमान तथ्य स्थिति के अनुरूप है।18. धारा 143 ए में निहित प्रावधानों के दो आयाम हैं।सबसे पहले, यह धारा एक दायित्व पैदा करती है जिसमें एक आरोपी को शिकायतकर्ता को चेक राशि का 20 प्रतिशत तक का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है।इस तरह का आदेश तब तक पारित किया जा सकता है जब तक कि शिकायत पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है और आरोपी का अपराध अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरा, यह वसूली के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, जैसे कि अंतरिम मुआवजा भूमि राजस्व का बकाया था।इस प्रकार, यह न केवल एक नई अक्षमता या दायित्व पैदा करता है, बल्कि अभियुक्त को राज्य के तंत्र के माध्यम से इस तरह के अंतरिम मुआवजे की वसूली के लिए मजबूर करने के तरीकों को भी उजागर करता है जैसे कि अंतरिम मुआवजा भूमि राजस्व के बकाया का प्रतिनिधित्व करता

है।जबरदस्ती के तरीके भी, जैसा कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 183 जैसे प्रावधान से स्पष्ट है, कुछ मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में ले सकते हैं।

/

/

/

/

921

जी. जे. राजा बनाम तेजराज सुराना [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

/

19. हमें इस स्तर पर, इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करना चाहिए

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम द्वारका नाथ भार्गव 4

जहां धारा 45 बी के प्रावधान, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में 28.01.1968 के प्रभाव से जोड़ा गया था, को प्रक्रियात्मक माना गया था और इसका पूर्वव्यापी अनुप्रयोग हो सकता था।उक्त धारा 45 बी निम्नानुसार हैः-

/

“ 45B. योगदान की वसूली।- देय कोई भी योगदान

इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जा सकती है।” मुद्दा यह था कि क्या उक्त धारा 45 बी में इस प्रकार निर्धारित वसूली का तरीका उन राशियों के संबंध में लागू किया जा सकता है जो 27.01.1967 और 24.01.1968 पर देय हो गई थीं, यानी इससे पहले कि धारा 45 बी को क़ानून पुस्तिका में डाला गया था।यह अभिनिर्धारित करते हुए कि बकाया को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है, यह देखा गया, "यह विवाद में नहीं है और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि प्रश्न योगदान पूरे समय देय रहे थे और प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। "

/

/

20. यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि अधिनियम में धारा 143 ए को शामिल करने से पहले कानून की पुस्तक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके तहत किसी अभियुक्त के अपराध की घोषणा से पहले या प्रश्न अपराध के लिए उसके दोषी ठहराए जाने से पहले भी, उसे अंतरिम मुआवजे का भुगतान या जमा करने के लिए कहा जा सकता था।संहिता की धारा 421 या संहिता की धारा 357 के माध्यम से जुर्माना या मुआवजे की अधिरोपित और परिणामी वसूली भी व्यक्ति को अपराध का

दोषी पाए जाने के बाद ही हो सकती है।यह विधि की स्थिति थी जिसे अधिनियम में धारा 143 ए को लागू करके बदलने की मांग की गई थी। अब यह एक दायित्व अधिरोपित करता है कि अपने अपराध या दोषसिद्धि के आदेश की घोषणा से पहले भी, अभियुक्त, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में धन की वसूली के लिए राज्य तंत्र की सहायता से, अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए मजबूर हो सकता है।इसलिए, व्यक्ति को एक नई अक्षमता या दायित्व के अधीन किया जाएगा।इस प्रकार स्थिति कर्मचारी राज्य बीमा निगम 4 मामले में विचार के लिए उत्पन्न हुई स्थिति से पूरी तरह से अलग है।

/

/

/

21. यद्यपि यह कुछ भिन्न संदर्भ अंतर्गत उद्भूत होता है, तथापि 2002 के संशोधन अधिनियम 55 द्वारा अधिनियम अंतर्गत अंतःस्थापित की गई धारा 142 (बी) का परन्तुक, जिसके अधीन अब निम्नलिखित के संबंध अंतर्गत भी संज्ञान लिया जा सकता है -

4 (1997) 7 एससीसी 131

/

922

/

[2019] 10 एस सी आर।

अधिनियम की धारा 142 (बी) के अंतर्गत निर्धारित अवधि से आगे दायर की गई शिकायत को इस न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गोयल बनाम मामले में संभावित माना गया था।

किशन चंद कौरा **5.**यह देखा गयाः-

“10. 2002 के अधिनियम 55 द्वारा धारा 142 (बी) में किए गए संशोधन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे पूर्वव्यापी रूप से संचालित करने का इरादा था।वास्तव में यह प्रतिवादी का रुख भी नहीं था। जाहिर है, जब शिकायत 28-11-1998 पर दायर की गई थी, तो प्रतिवादी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि भविष्य में पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर सीमा की अवधि बढ़ाने का प्रावधान करने वाला कोई संशोधन अधिनियमित किया जाएगा। "

/

22. हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 143 ए की प्रयोज्यता को संभावित प्रकृति का माना जाना चाहिए और उन मामलों तक सीमित होना चाहिए जहां धारा 143 ए लागू होने के बाद अपराध किए

गए थे, ताकि किसी आरोपी को इस तरह के अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सके।

/

23. तथापि, हमें इस न्यायालय के निर्णय का विज्ञापन करना चाहिए।

सुरिंदर सिंह देसवाल और ओआरएस बनामविरेन्द्र गाँधी 6 जहाँ खंड

/

148 अधिनियम का, जिसे 2018 के उसी संशोधन अधिनियम 20 द्वारा 01.09.2018 से भी प्रस्तुत किया गया था, इस न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी होने का निर्णय लिया गया था।अधिनियम की धारा 143 ए के विरुद्ध, जो अपराध की घोषणा या दोषसिद्धि के आदेश से पहले ही परीक्षण स्तर पर लागू होती है, अधिनियम की धारा 148 अपीलीय स्तर पर लागू होती है जहां अभियुक्त पहले से ही अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध का दोषी पाया जाता है। यह कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 148 में कोई प्रावधान नहीं है जो अधिनियम की धारा 143 ए की उप-धारा (5) के समान है। हालाँकि, वास्तव में, धारा 143 ए की उप-धारा (5) के समान किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संहिता की धारा 421 और 357, जो दोषसिद्धि के बाद लागू होती हैं, ऐसी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त हैं।इस अर्थ में कहा गया है कि धारा 148 पहले से मौजूद तंत्र और सिद्धांतों पर निर्भर करती है और अधिनियम की धारा 143 ए द्वारा बनाई गई प्रकृति की कोई नई अक्षमता पैदा नहीं करती है। इसलिए, सुरिंदर सिंह देसवाल 5 में इस न्यायालय का निर्णय एक अलग आधार पर है।

/

/

/

24. अंतिम विश्लेषण में, हम धारा 143 ए को व्यवहार में संभावित मानते हैं और यह कि उक्त धारा 143 ए के प्रावधान केवल उन मामलों में लागू या लागू किए जा सकते हैं जहां अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध किया गया हो।

5 (2007) 13 एससीसी 492 6 (2019) 8 स्केल 445 ए

/

यह कानून की पुस्तक में उक्त धारा 143 ए को पेश करने के बाद किया गया था।नतीजतन, निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा जमा किया गया धन, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्देश के अनुसार, इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर उपार्जित ब्याज के साथ अपीलार्थी को वापस कर दिया जाएगा।

/

25. अपील की अनुज्ञात उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

26. अंत में, हम विद्वान न्यायमित्र श्री विनय नवारे द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/